creditors to the extent possible and for distribution of surplus, if any, remaining thereafter amongst the shareholders.

(c) The period within which a company which has gone into liquidation may be completely wound up depends upon the facts and circumstances of each case including the time taken in realising the debts and the assets by sale thereof. This is however, a time consuming process over which Government has hardly any control.

(d) The interest of public (shareholders and creditors) in a Voluntary winding up is safeguarded by the provisions of Section 497, 509 of the Companies Act, 1956, and in a Compulsory winding up it is watched by the court under whose supervision and directions liquidation proceedings are conducted by the Official Liquidator.

कहलगांव सुपर थरमल पावर स्टेशन की स्थापना में लापरवाही

8566. **स्त्रीमती कृष्ण साही** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के कहलगांव में सुपर थरमल पावर स्टेशन की स्थापना की योजना को क्रियान्वित करने में ढ़ील दिखाई है ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार वहां बिजली घर की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च करना चाहती है और इस बिजली घर की क्षमता कितने मेगावाट होगी और इसके लिए अब तक कितने मेगावट होगी और इसके लिये अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि कहलगांव के लिए कोयले की सप्लाई 12 मील दूर से की जाएगी जबकी फरक्का के लिए यह 150 मील दूर से की जाएगी जिसके परिणामस्वरूप वहां उत्पादित विजली महंगी पड़ेगी ; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखकर कहलगांव थरमल पावर स्टेशन को प्राथमिकता दी जाएगी?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री स्त्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र (सु०ता०वि०के०) के 4×210 मेगावाठ के प्रथम चरण को 494 करोड़ रूपए की लागत पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है । इस संबंध में निवेश सम्बन्धों निर्णय लेने से पूर्व वित्त सहित अनेकों निवेशों को सम्बद्ध किया जाना हैं । फरक्का सु०ता०वि० केन्द्र को कोयले की सप्लाई राज महल कोल फील्ड्स के हुरा ब्लाक से की जाएगी जो फरक्का परियोजना स्थल से 62 किमी० की दूरी पर है । कहलगांव सु०ता०वि० केन्द्र के प्रथम चरण को इन कोयला क्षेत्रों से सप्लाई करने का प्रस्ताव है। इस मामले में प्रस्तावित परियोजना स्थल से दूरी 26 किमी० होगी ।

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा उत्पादित उर्वरक की किस्म की जांच

8567. **श्री राम अवद्य** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा उर्वरक कारखाने चलाए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कारखानों में नाइट्रोजन की अपेक्षित मात्रा के बिना घटिया किस्म के उर्वरक का उत्पादन किया जा रहा है और इसे किसानों के उपयोग के लिए सप्लाई किया जा रहा है और इसका अन्यथा अच्छी फसल पर प्रतिकूल भाव पड़ रहा है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समय-समय पर इन उर्वरकों की किस्म की जांच करती है ओर इसके लिए उचित स्तर निर्धारित करती है, और

(घ) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) देश में कुछ उर्वरक कारगाने गैर सरकारी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे है ।

(ख) हालांकि, गैर सरकारी कंपनियों द्वारा उत्पादित शुद्ध उर्वरकों में नाइट्रोजन की वांछित मात्रा की सप्लाई न करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, कुछ शिकायतें की गई थी कि कुछ इकाइयों, जो गैर सरकारी क्षेत्र में थी, द्वारा उत्पादित फिजिकल ग्रेमुलेटेड मिश्रित उर्वरकों में नाईट्रौजन की मात्रा कम थी ऐसी शिकायतों की जब भी ये प्रात्त हों उचित प्राधिकरण द्वारा जांच की जाती है ।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन उर्वरक को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। उर्वरकों की क्वालिटी, मूल्य और वितरण को नियंत्रित करने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 जारी किया गया है । इसमें उर्वरक के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने का उपबन्ध भी शामिल है। लगभग 52,000 नमूनों के प्रतिवर्ष विश्लेषण की क्षमता वाले 36 राज्य उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशालाएँ राज्यों में विद्यमान हैं । इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय के अधीन, फरीदाबाद में एक सेन्ट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कन्ट्रोल एण्ड एक ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट भी स्थापित किया गया है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957के प्रवर्तन का कार्य राज्य सरकारों को सौंफ गया है जिन्होने किसानों को मानक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नमूने लेने और विश्लेषण करने के लिए एक प्रवर्तन तंत्र की नियुक्ति की है।

सप्लाई की गई उर्वरक की क्वालिटी सुनिश्चित करने की सामान्य नीति के रूप में सरकार ने निम्न महत्वपूर्ण उपाय किए है ।

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से उर्वरकों की क्वालिटी नियंत्रण स्थिति पर निगरानी रखती है ;

(ii) राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सेन्ट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कन्ट्रोल एण्ड ट्रेनिंग इन्सट्टियूट में नियमित प्रशिक्षण कार्य क्रमों का आयोजन किया जाता है ।

(iii) राज्य सरकार के तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्य की अनुपूरित करने के लिए केन्द्र सरकार ने हाल ही में अपने क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षक नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त की हैं।

(iv) देश में उर्वरकों की क्वालिटी नियंत्रण व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट देने के लिए दो सर्वेक्षण दलों का गठन भी किया गया है ।

(v) मिलावटी/घटिया उर्वरकों की बिक्री की शिकायत मिलने पर केन्द्रीय दस्ते घटना स्थान पर जांच के लिए राज्यों में मेजे जाते हैं।